माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. वी. गुप्ता के सामने,

ट्रेडिंग इंजीनियरिंग,-याचिकाकर्ता
बनाम
निर्मला देवी और अन्य,-प्रतिवादी।
1979 का सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 2757
फरवरी 5, 1980।

मोटर वाहन अधिनियम (IV ऑफ 1939) - धारा 110-एए - श्रमिक मुआवजा अधिनियम (VIII ऑफ 1923) - धारा 3(5) - मोटर वाहन अधिनियम के तहत मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को दिया गया मुआवजा - द्वारा पसंदीदा दावा कामगार मुआवज़ा अधिनियम के तहत भी वारिस - ऐसे दावे - पर विचार किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम और कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार व्यक्ति इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत ऐसे मुआवजे का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं। इस प्रकार, मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारी जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा दिया गया है, वे श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। (पैरा 3)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका गुड़गांव क्षेत्र के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त श्री एस.एल. शर्मा के न्यायालय के दिनांक 14 सितंबर, 1979 के आदेश में संशोधन के लिए, आवेदक के पक्ष में मुद्दे संख्या 1, 3 और 5 का निर्णय करना और आगे निर्देश देना उन्हें अंक संख्या 2 और 4 पर साक्ष्य के लिए 21 सितंबर, 1979 को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया।

दावा:- कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत रुपये 20,000 के लिए।

पुनरीक्षण में दावा:- निचले न्यायालय के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील एस.एस. महाजन।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. वी. गुप्ता,

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त के आदेश, दिनांक 14 सितंबर, 1979 के खिलाफ एक याचिका है।

(2) सोहना, जिला गुड़गांव निवासी श्रमिक श्री राम चंदर की 6 जनवरी 1976 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी विधवा, श्रीमती निर्मला देवी, प्रतिवादी, ने 13 नवंबर 1978, को श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत एक आवेदन दायर किया। अपने पति की मृत्यु मुआवज़े का दावा करते हुए। उस आवेदन के साथ, भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। नियोक्ता की ओर से दाखिल लिखित बयान में आपत्ति ली गयी कि आवेदन विचारणीय नहीं है, क्योंकि विधवा को पहले ही रुपये मिल चुके हैं, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत 10,000 रुपये का मुआवजा दिया गया, क्योंकि उसने अपने मृत पति के माता-पिता के साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुड़गांव की अदालत में मुआवजे के लिए आवेदन किया था और उसे 10,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि आवेदन समय-बाधित है और मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-एए के तहत भी वर्जित है। पक्षों की दलीलों पर, विद्वान आयुक्त ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

(1) क्या वर्तमान आवेदन मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-एए और श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3(5) के मद्देनजर कायम रखने योग्य है?

(2) क्या दुर्घटना रोजगार के दौरान और उसके दौरान हुई थी?

(3) क्या दावा आवेदन सीमा 9 से वर्जित है

(4) राहत।

(5) क्या वर्तमान आवेदन न्यायालय द्वारा वर्जित है?

इशू संख्या 1, 3 और 5 को प्रारंभिक माना गया। वर्तमान याचिका में, मुख्य प्रतियोगिता मुद्दा संख्या 1 पर है। विद्वान आयुक्त ने दावेदार के पक्ष में इस मुद्दे का फैसला किया। उनके द्वारा लिया गया विचार यह है कि उन्हें रुपये से सम्मानित किया गया था। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 10,000; जबकि कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत, वह 18,000, रुपये की हकदार है और इसलिए 10,000 रुपये के लिए उसका दावा की कटौती की जा सकती है, जो उनके अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-एए द्वारा वर्जित है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क की सराहना करने के लिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-एए का पुनरुत्पादन आवश्यक है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के कारण इस अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है और साथ ही (कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, मुआवज़े का हकदार व्यक्ति इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत ऐसे मुआवज़े का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं।"

इस धारा की भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों अधिनियमों के तहत मुआवजे का हकदार व्यक्ति इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत इस तरह के मुआवजे का दावा कर सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं। इसके समर्थन में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का एक निर्णय, श्रीमती गायत्री देवी बनाम तानी राम और अन्य[1], के रूप में रिपोर्ट किया गया, का उल्लेख किया जा सकता है। इसके पैरा 9 में यह देखा गया है कि:-

> "इसलिए, अब स्थिति यह है कि मुआवजे के लिए दावा या तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत या मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया जा सकता है। श्रमिक मुआवजा अधिनियम और ए के तहत दावे की प्रकृति और कानूनी घटनाओं के बीच अंतर एक सामान्य कानून मुकदमे में किया गया दावा 'श्रमिक मुआवजा अधिनियम' के तहत किए गए दावे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए दावे के बीच परिलक्षित होता रहता है। दोनों दावों का आधार एक दूसरे से भिन्न है, और इसलिए, 1970 तक यह संभव था दोनों दावों पर राहत प्राप्त करने के लिए। यह देखा जा सकता है कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 3(5) एक कर्मचारी को एक सामान्य कानून के मुकदमे और उस अधिनियम के तहत कार्यवाही के बीच चयन करने के लिए मजबूर करती है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत और श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत दावे के संबंध में एक संबंधित प्रतिबंध वांछित था। । केवल दो अधिनियमों में से एक के तहत दावे की अनुमति देने के लिए, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1969 ने मोटर वाहन अधिनियम में धारा 110-एए शामिल की। अनुभाग प्रदान करता है:
>
> ... ...
>
> ... ...

[1] ए आई आर 1976 अच पी 75

संशोधन 2 मार्च, 1970 को लागू हुआ। उस तारीख से मुआवजे का हकदार व्यक्ति श्रमिक मुआवजा अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा कर सकता है। वह दोनों अधिनियमों के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है और इस प्रकार दो बार मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

(4) प्रतिवादियों के विद्वान वकील विद्वान आयुक्त के आदेश का समर्थन करने में असमर्थ थे। हालाँकि, उन्होंने श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (सी) का उल्लेख किया, जिसमें "मुआवजा" शब्द को परिभाषित किया गया है। इसकी धारा 5 में भी संदर्भ दिया गया था, जो अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे की राशि से संबंधित है। हालाँकि, मुझे इस याचिका में पक्षों के बीच विवाद को तय करने के लिए इन प्रावधानों की कोई प्रासंगिकता नहीं दिखती।

(5) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका सफल होती है और आयुक्त का आदेश रद्द किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा